फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- IGRS रैंकिंग

दिनांक :- 08.10.2024

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) में जनपद फतेहगढ़ का प्रदेश में प्रथम स्थान...

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन में जनपद फतेहगढ़ में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली(IGRS) के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने में माह सितम्बर 2024 में जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान, जोन स्तर पर प्रथम स्थान, तथा थाना-वार रैंक में जनपद फतेहगढ़ के समस्त 16 थानों में से 15 थानो द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है –कोतवाली फतेहगढ़, थाना मऊदरवाजा, कोतवाली फर्रुखाबाद, महिला थाना, कोतवाली कायमगंज, थाना शमसाबाद, थाना मेरापुर, थाना कम्पिल, थाना कमालगंज, थाना अमृतपुर, थाना राजेपुर, कोतवाली मोहम्मदाबाद, थाना जहानगंज, थाना नवाबगंज, साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद फतेहगढ़ को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त होने पर आई0जी0आर0एस0 कार्यालय में नियुक्त अधि0/कर्म0गण को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया।

आईजीआरएस कार्यालय में नियुक्त अधि0/कर्म0गण के नाम:-

1. निरीक्षक अवध नरायण पाण्डेय
2. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए अंकित कुशवाहा
3. मु0आरक्षी दिलीप कुमार
4. का0 अभिषेक कुमार
5. का0 बालकिशन
6. का0 विजय कुमार
7. का0 विवेक कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 08.10.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/115(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री जय सिंह के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/115(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सतीश पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रौकरी थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद 2. गुलजारी पुत्र बाबूराम निवासी पट्टी नगला थाना नया गांव जनपद एटा को थाना क्षेत्र कम्पिल से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सतीश पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रौकरी थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद
2. गुलजारी पुत्र बाबूराम निवासी पट्टी नगला थाना नया गांव जनपद एटा

घटना का विवरण :- अभियुक्तगण द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वादी की जमीन को फर्जी व कुटरचित तरीखे बेचने व पकडे जाने पर गाली गलौज व हाथापाई करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.10.2024 को वादी श्री विद्याराम पुत्र कामता प्रसाद निवासी ग्राम अकराबाद थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 153/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/115(2)/352 बीएनएस बनाम 1. सतीश पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम रौकरी थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद 2. गुलजारी पुत्र बाबूराम निवासी पट्टी नगला थाना नया गांव जनपद एटा पंजीकृत हुआ ।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा बताया कि हम लोग जमीन देखकर व उसके स्वामित्व के बारे में पता करके उसी नाम से आधार कार्ड व फर्जी दस्तावेज बनवा लेते थे और जमीन बेचने हेतु डीलर से बातचीत करके सस्ते दामो में उक्त जमीन का बैनामा कर बेच देते थे । दिनांक 07.10.2024 को भी हम ग्राम अकराबाद में विद्याराम की जमीन के सम्बन्ध में आधार कार्ड व फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमीन दिखवा रहे थे कि जिसमें हम लोग मौके पर पकडे गये ।

बरामदगी का विवरणः-

1. फर्जी आधार कार्ड -02 अदद।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 भभूती प्रसाद
2. हे0का0 अनुराग
3. का0 सोनू

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि0- 08.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त करिया यादव पुत्र गंगाराम निवासी याकूतगंज थाना को0 फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 112/2021 वाद सं0- 680/2021 धारा- 302,504,506 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 08.10.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश फर्रु0 द्वारा अभि0को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 24 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

डीजीसी - श्री सुदेश प्रताप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर का0 जसवीर सिंह

पैरोकार हे0का0 शैलेन्द्र कुमार